20/9/24 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 6/12/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

6/12/24 पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन [illegible] स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 13/12/24 को पेश हो।

आज्ञा से रीडर

19/12/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आजि. अ.। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी नं. 2 लगा. 11 की तामीली हेतु सम्मन तलबाने पेश नहीं किये गये हैं। आगामी तारीख पेशी पर सम्मन तलबाने पेश नहीं करने पर पत्रावली आदेश 9 नियम 5 सा. दीवानी की पालना नहीं करने से खारिज कर दी जावेगी। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 9/1/25 को पेश हो।

19/12/24

9/1/25- पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आजि० अ० पत्रावली पीठासीन अधिकारी में दिनांक 11/2/25 को पेश हो

11/2/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी आजि. अनु.। प्रार्थी एवं प्रार्थी अभिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। प्रार्थी एवं प्रार्थी अभिवक्ता को न्यायालय में पुनः एक बार आवाज लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। प्रार्थी एवं प्रार्थी अभिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा -212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा खुलाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

11/2/25

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा